संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत वर्ष 1976 में किया गया । इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस समिति का कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन कर और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है । अभी तक संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आठ खंड़ों पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित किए जा चुके हैं । संसदीय राजभाषा समिति के नौंवे खण्ड़ में की गयी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रपति जी को दिनांक 02.06.2011 को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन के नौंवे खण्ड को संसद के मानसून सत्र-2011 में सदन के पटल पर रखा गया । इसमें की गयी सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं । इनके अध्ययन के पश्चात् इस पर राष्ट्रपति जी के आदेश पारित करने संबंधी कार्रवाई की जायेगी ।

1- संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित अन्य सूचना www.rajbhashasamiti.gov.in पर उपलब्ध है ।

2- **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन के आठ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति जी के आदेशों की प्रति www.rajbhasha.gov.in और www.rajbhashasamiti.gov.in पर उपलब्ध है।**

मुख्य पृष्ठ